

कार्यालय -उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 52/18
145-18

दिनांक:- 14-5-18

:: निर्णय / डिक्री ::

द्वारा 53RTH

श्री देवा, रामलाल श. लखार

सह खातेदारों ने न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत केम्य बकाला में उपस्थित होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सह खातेदारों द्वारा ग्राम डालखर उपखण्ड की जमाबंदी संवत् 2073-76 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति तथा बटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं लगान की दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्सों को पृथक -2 रंग से रखाया गया है प्रस्तुत किया गया। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी हल्का एवं मू०अ० निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट ली गई। एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारे की अंतिमिष्ठा की गई।

ग्राम डालखर उपखण्ड पटवार हल्का बकाला की जमाबंदी संवत् 2073-76 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 50 नया 46 : पुराना खसरा नं० 98911 योग कित्ता 1 योग रकबा 10 बीघा — बिस्वा में श्री देवा, रामलाल श. लखार

सह खातेदार हैं। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम डालखर उपखण्ड के खाता नं० 50 नया 46 पुराना के खसरा नं० 98911 योग कित्ता 1 योग रकबा 10 बीघा — बिस्वा का सह खातेदारों के मध्य प्रस्तुत बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय / डिक्री की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल-दरामद की कार्यवाही करे। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय / डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।


उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर